10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, केम्प सागर

R - 2667 - III/14

मातादीन तनय कन्हैयालाल तिवारी
निवासी करी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. आनन्दभान तनय गणेशप्रसाद तिवारी
2. गणेशप्रसाद तनय कन्हैयालाल तिवारी
3. बाबूलाल तनय कन्हैयालाल तिवारी
4. उदयभान तनय गणेशप्रसाद तिवारी
5. काशीप्रसाद तनय नारायणदास तिवारी
6. ओमप्रकाश तनय नारायणदास तिवारी
7. बद्रीप्रसाद तनय नन्हेलाल तिवारी
8. फूलचंद तनय नन्हेलाल तिवारी
9. सुदामाप्रसाद तनय गजाधर तिवारी
10. घनश्याम तनय गजाधर तिवारी

निवासीगण ग्राम करी
तह. राजनगर जिला छतरपुर ....अनावेदकगण।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान कमिश्नर सागर संभाग सागर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/8/14 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है :

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा करी एंव श्यामरीपुरवा स्थित वादग्रस्त भूमि निगरानीकर्ता एंव अनावेदकगण की पैत्रिक भूमि थी जो कि अपीलार्थी राजस्व अभिलेख में प्यारेलाल एंव नर्मदाप्रसाद तिवारी के नाम पर दर्ज थी, नर्मदाप्रसाद तिवारी की कोई संतान नहीं थी इस कारण से परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से वर्ष 1985 में वादग्रस्त भूमि में से जो भूमि नर्मदाप्रसाद के हिस्से की थी उसका विक्रयपत्र अनावेदक क्र 1 व 4 के नाम करा दिया गया था तदसमय अनावेदक क्र 1 नाबालिग था जिससे स्पष्ट है वह स्वंय कुछ अर्जित नहीं करता था इसके उपरांत ग्राम करी मे स्थित पैत्रिक भूमि का आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा कर अनावेदक क्र 1 व 4 को बाकी हिस्सेदारों से अधिक भूमि प्रदाय की गयी तथा वर्ष 1995 में शेष पैत्रिक भूमि जो कि ग्राम श्यामरीपुरवा में